अनुसूची 21–फारम सं॰ 113

उपमंडल रेकर्ड एवं उपरजिस्ट्रार कार्यालय

## संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या 2578 आवेदन सं॰ 2613/20

चूँकि श्री Smt Neelam Singh w/o Ravinder Nath Singh

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं ईसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिका में ता॰ 01/01/2007 to till date Asber Index II Regd deed तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः समाति किए जाते हैं

| क्र॰ सं॰ | (क) संपत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य | पक्षों का नाम | | दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र॰ निर्देश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | निष्पादक | दावेदार | जिल्द | वर्ष | पृष्ठ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Mouza – Mustafapur. | | | | | | | |
| | Thana – Mustafa pur. | | | | | | | |
| | Thanano – 36 | | | | | | | |
| | Khatano – 56 | | | | | | | |
| | Khesrano – 919 | | | | | | | |
| | Touzino – 5241 | | | | | | | |
| | Area – 62.5 Kanal | | | | | | | |

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक–पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभार का पता नहीं चला है।

## निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Danapur Patna.

तारीख: 12/08/2020

अवर निबंधन कार्यालय

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:–इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार है। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों को जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस को भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की हैं, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की हैं, और चूँकि उसके बाद ढूँढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक.....

ज्ञाप संख्या 2648 दिनांक 12/08/2020

आवेदक श्री Smt. Neelam Sinha W/o Ravi Dev Nath Sinha

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा.....

.....

का उनके पत्र संख्या..... दिनांक..... के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

Dy. Danapur, Patna.

SFL-469/99-2,00,000